न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

प्रार्थना–पत्र संख्या : 162 / 2021 — दायर दिनांकः 28.09.2021

GCMS NO:- 2021/289 — पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. जगदीश आ0 बजरंगा जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ।
2. रामेश्वर आ0 खाना जाति धाकड नि. बामनगांव तहसील नैनवॉ।
3. सत्यनारायण आ0 खाना जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. गायत्री पत्नी पृथ्वीराज जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ।
2. बाबू पुत्र फुन्दया जाति धाकड नि. बामनगांव हाल धाकडों का मोहल्ला चौरू तहसील अलीगढ जिला टोंक।
3. मोना पुत्री पृथ्वीराज जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ।
4. सोना पुत्री पृथ्वीराज जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ।
5. महावीर आ0 खाना जाति धाकड नि0 बामनगांव तहसील नैनवॉ।
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नैनवॉ परिवर्तित नाम भारतीय स्टेट बैंक शाखा नैनवॉ तहसील नैनवॉ।
7. भूमिधारी राजस्थान राज्य द्वारा श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ तहसील नैनवॉ।

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 251क आर.टी एक्ट

उपस्थिति–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह सौलंकी व अन्य।

निर्णय दिनांक 27.08.2025

:–निर्णय–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बामनगांव तहसील नैनवॉ की जमाबन्दी संवत् 2076–2079 के खाता संख्या नया 184 पुराना 180 के अनुसार खसरा नम्बर 943 रकबा 1.4886 हैक्टयर स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 5 महावीर के संयुक्त खातेदारी अधिकार मे दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर प्रार्थीगण बहैसियत खातेदार आधिपत्यक रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।

यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित प्रार्थीगण अपने खातेदारी अधिकार की भूमि खसरा नम्बर 943 पर बामनगांव से भोमपुरा जाने वाली आम डामरी सडक के पूर्वी ओर स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 940 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर आगे खसरा नम्बर 941 सिवायचक भूमि मे होता हुआ नक्शा परिशिष्ट क मे लाल स्याही से अ ब मार्क से दर्शाये अनुसार रास्ते से आते जाते है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थीगण सदैव से पुश्तेनी रूप से करते चले आ रहे है लेकिन अप्रार्थीगण उस रास्ते को ताकत के बल पर बन्द करने पर आमादा है जिसका अप्रार्थीगण को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता मौजूद नही है। साथ ही उक्त रास्ते का अंकन राजस्व रिकॉर्ड मे करवाने हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार भूमि के खातेदारान को राशि अदा करने को तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है तथा अप्रार्थी संख्या 5 के लापता होने की सूचना प्राप्त होने एवं अप्रार्थी संख्या 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 02.12.2021 से प्राप्त हो चुकी है।

बहस एकपक्षीय प्रार्थना पत्र सूनी गयी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बामनगांव मे स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर

943 पर बामनगांव से भोमपुरा जाने वाली आम डामरी सडक के पूर्वी ओर स्थित प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि खसरा नम्बर 940 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे होकर आगे खसरा नम्बर 941 सिवायचक भूमि मे होता हुआ नक्शा परिशिष्ट क मे लाल स्याही से अ ब मार्क से दर्शाये अनुसार रास्ते से आते जाते है, के अनुसार रास्ता दिया जावे। साथ ही निवेदन किया कि श्रीमान तहसीलदार साहब नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 02.12.2021 के अनुसार यदि प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाता है तो हमे कोई आपत्ती नही होगी।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गयी एकपक्षीय बहस को ध्यानपूर्वक सूना। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेंजो, तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 943 पर जाने के लिए वर्तमान मे कोई रास्ता उपलब्ध नही होने से तहसीलदार नैनवॉ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 02.12.2021 को आंशिक स्वीकार कर रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट दिनांक 02.12.2021 के अनुसार ग्राम बामनगांव स्थित प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 943 पर आने जाने के लिए ग्राम बामनगांव से भोमपुरा जाने वाली आम डामरी सडक के पूर्वी ओर स्थित खसरा नम्बर 940 मे से निम्नानुसार रास्ता दिये जाने के आदेश दिया जाकर नक्शा ट्रेस जिसमे रास्ता दर्शाया गया है, को परिशिष्ट **क** नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

रास्ते में प्रयुक्त होने वाली भूमि का विवरणः–

खसरा नं0	**खातेदार**	**किस्म**	**लम्बाई**	**x**	**चौडाई**	**क्षेत्रफल**
940	गायत्री आदि (खातेदारी)	बा. 3	32 गट्ठा	x	2 गट्ठा	64 वर्गगट्ठा

अर्थात 0.0259 हैक्टयर

कुल क्षेत्रफल = 64 वर्गगट्ठा या 0.0259 हैक्टयर

तहसीलदार नैनवॉ को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार प्रतिकर राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर मौके पर रास्ता बहाल करें। निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवा

हालमौका नक्शा [illegible]

ग्राम = बासनगांव

तह -- नैनवां

जिला = बूंदी (राज)

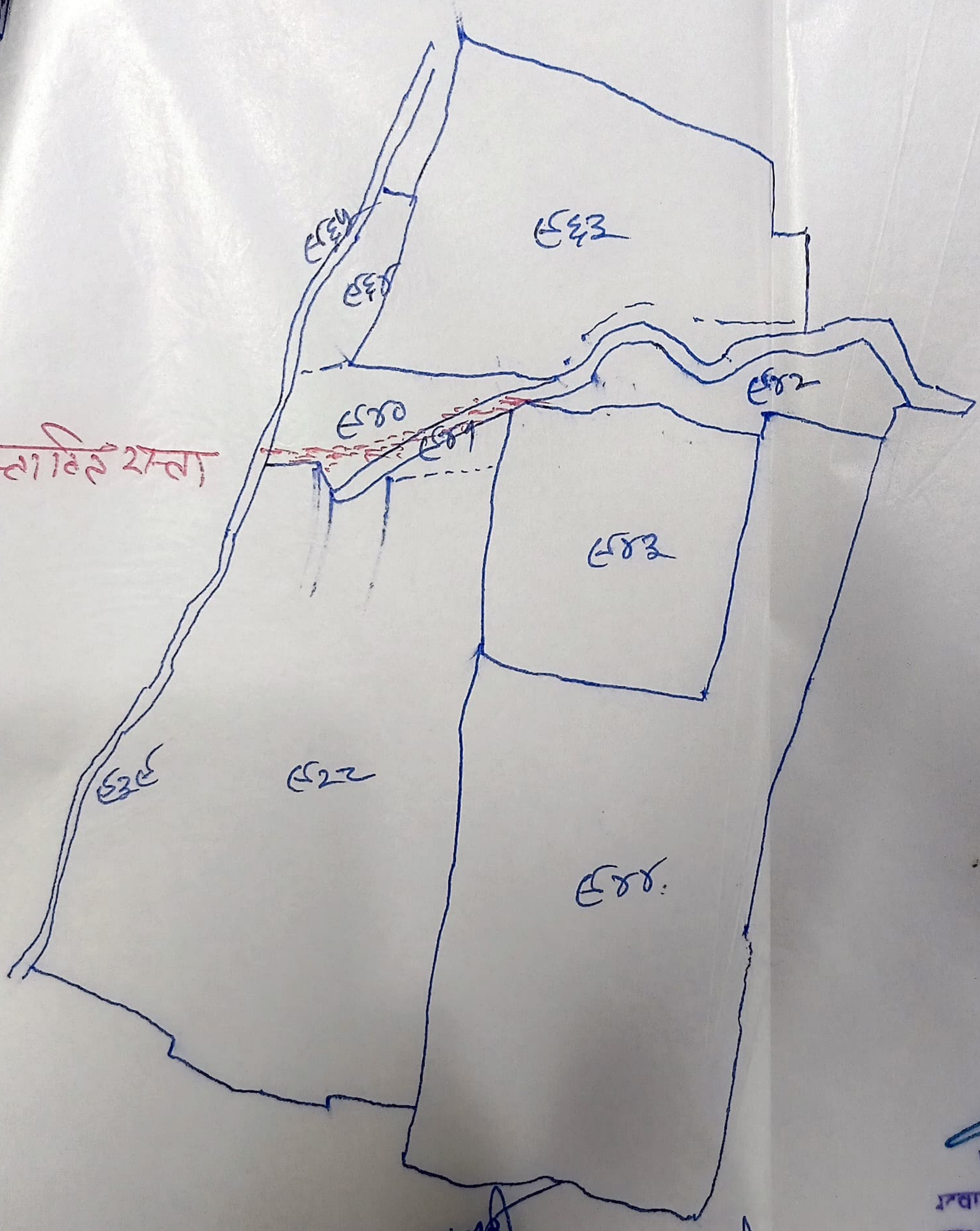

राजमार्ग हेतु दि: [illegible] भूमि

02/11/2021

पटवारी

पटवार मण्डल बासनगांव

तह. नैनवां (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी

नैनवां (बून्दी)